

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-30/2018-134(आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 23-03-2019

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार पटना।

विषय :

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष-2018-19 में किसानों के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सहज एवं सी0एस0सी0 के वसुधा केन्द्रों का सेवा शुल्क के भुगतान हेतु 30000000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹3,00,00,000 (तीन करोड़ रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-179 (क) दिनांक-09.03.2019 द्वारा राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष-2018-19 में किसानों के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण हेतु सहज एवं सी0एस0सी0 के वसुधा केन्द्रों का सेवा शुल्क के भुगतान हेतु 30000000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹ 3,00,00,000 (तीन करोड़ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹ 3,00,00,000 (तीन करोड़ रु०) मात्र में से ₹2,49,00,000 (दो करोड़ उनचास लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-104-कृषि फार्म-मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0106-कृषि नविनता में प्रोत्साहन- विपत्र कोड-01-2401001040106, विषयशीर्ष-010627.01-लघु कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि एवं तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹ 3,00,00,000 (तीन करोड़ रु०) मात्र में से ₹48,00,000 (अरतालीस लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0147- कृषि नविनता में प्रोत्साहन - विपत्र कोड-01-2401007890147, विषयशीर्ष-0147.27.01-लघु कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि एवं तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

4. उपरोक्त ₹ 3,00,00,000 (तीन करोड़ रु०) मात्र में से ₹3,00,000 (तीन लाख रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना -मांग संख्या-1- उपशीर्ष-0169- कृषि नविनता में प्रोत्साहन - विपत्र कोड-01-2401007960169, विषयशीर्ष-0169.27.01-लघुकार्य मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि एवं तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-3244 वि. (2) दिनांक-04.05.2018 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक

134(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 23-03-2019

प्रतिलिपि :

महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

134(आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 23-03-2019

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण कोषांग, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना /सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ., पटना, दिनांक 23-03-2019

ज्ञापांक -

134(आवंटन)

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शष्य), सूचना बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन) सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।